

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र सं-09/उपाधी अनु-54/2011 5109 /कृ० पटना, दिनांक ०२-१२- २०१६

निम्नलिखि

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, भा० प्र० से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स स्प्रिंग बायोसाइंस प्र०लि०,
द्वारा—ओम श्री दुर्गा ट्रेडिंग,
लक्ष्मी मार्केट रत्नपुर, बेगुसराय।

विषय : अनुज्ञाप्ति रद्द करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि आपके प्रतिष्ठान के राज्यस्तरीय बीज अनुज्ञाप्ति संख्या-274/2012 वैधता तिथि 28.05.2015 के वैधता समाप्ति तिथि तक अनुज्ञाप्ति नवीकरण संबंधी कागजात एवं शुल्क अद्यतन उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसलिए निर्धारित अवधि तक बीज अनुज्ञाप्ति नवीकरण का आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण आपके अनुज्ञाप्ति संख्या-274/2012 को वैधता अवधि समाप्ति की तिथि से रद्द किया जाता है।

विश्वासभाजन
W.L.I.

(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 5109

/कृ०, पटना, दिनांक ०२-१२- २०१६

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शाष्य) उपाधान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शाष्य)/उप निदेशक (शाष्य) बीज/ उप निदेशक (शाष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शाष्य) फसल/उप निदेशक (शाष्य) तेलहन/उप निदेशक (शाष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शाष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/ सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि यदि उक्त प्रतिष्ठान द्वारा राज्य अन्तर्गत बीज का व्यवसाय किया जाय तो अवैध व्यपार मानते हुए बीज नियंत्रण आदेश 1983 के आलोक में कार्रवाई की जाय।

2. आई02टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।